Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी हर्षित उर्फ गोलू चांद उर्फ छोटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-हर्षित उर्फ गोलू पुत्र हर्षवर्धन व 2-चांद उर्फ छोटू पुत्र बबलू निवासीगण काशीराम कालोनी थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 917/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 28.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों हर्षित उर्फ गोलू व चांद उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

नि0 श्री कुलदीप सिंह विवेचक

है0का0 नीटू कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 28.07.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौकशी की योजना बना रहे 25-25 हजार रुपये के इनामी 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस, गौवध करने के उपकरण व 01 प्रतिबंधित पशु बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिंघावली अहीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिंघावली अहीर द्वारा दिनांक 28.07.2026 को समय करीब 04:20 बजे चेकिंग व सूचना संकलन के दौरान तिलपनी तथा ग्राम रामनगर के बीच जंगल में रजवाहे के पास गौकशी की तैयारी कर रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग की गई। अभियुक्तों द्वारा चलाई गई गोलियां पुलिस टीम में शामिल उपनिरीक्षक अमित कुमार तथा उपनिरीक्षक आदित्य कुमार द्वारा पहनी गई बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं, जिससे दोनों अधिकारी बाल-बाल बच गए।

पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में तीनों अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पिलाना भिजवाया गया है।

नोट- उपरोक्त तीनों अभियुक्त थाना दोघट पर पंजीकृत गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

मौके से सकुशल बरामद किए गए 01 प्रतिबंधित पशु के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है तथा मामले में अग्रिम कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-महबूब पुत्र फारूक, निवासी: ग्राम खेड़ी कला, थाना सरूरपुर, जनपद मेरठ।(घायल अवस्था में)

2-नवाजिश पुत्र महबूब, निवासी: ग्राम खेड़ी कला, थाना सरूरपुर, जनपद मेरठ।(घायल अवस्था में)

3-शब्बीर पुत्र सद्दीक, निवासी: ग्राम बिलोचपुरा, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत।(घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण—

- 03 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस ।
- गौवध करने के उपकरण ।
- 01 प्रतिबंधित पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना सिंघावली अहीर जनपद

3-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6- है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

7-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

8-है0का0 402 सुमित सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

9-का0 995 अभय प्रताप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

10-का0 1023 गणेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।